ISBN: 978-93-93166-00-5

पंचायती राज व्यवस्थाः उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में

डा0 शक्ति गुप्ता
प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हमीरपुर, उत्तरप्रदेश, भारत

सारांश

पंचायती राज का बीजारोपण 1948 में उ0प्र0 के इटावा जिले के महेवा नामक ग्राम से प्रारम्भ किया गया। इटावा प्रोजेक्ट की प्रेरणा एक अमेरिकी नियोजन व विकास परामर्षदाता एलवर्ड मेयर से मिली। इस प्रोजेक्ट का uddesy ग्रामीण सामुदायिक जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाना था. जिससे उसका सर्वागीण विकास हो सके और उन सभी बाधाओं को दूर करना था, जो उनके विकास में बाधक हो। वास्तव में उत्तर प्रदेष में पंचायतों के विकास की प्रक्रिया की वैधानिक शुरूआत उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 दिनांक 7 दिसम्बर 1947 को गर्वनर जनरल के हस्ताक्षर के पष्चात पंचायतों की स्थापना से ही माना जाता है।

भूमिका

पं0 जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में इसका उद्देश्य सामुदायिक जीवन के स्तर को ऊँचा उठाना था (प्राचीन आधार को तोड़े हुए) इटावा प्रोजेक्ट में सर्वप्रथम 64 गाँव लिये गये जो बाद में 300 गाँवों

ISBN: 978-93-93166-00-5

तक बढ़ाये गये। इस प्रोजेक्ट में दूसरे राज्यों से भी सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भारत एंव बाहर से इसके परिणाम के बारे में जानना चाहा। यह थोड़े समय में सफल ग्रामीण विकास का एक चिन्ह बन गया। जो लोकप्रिय सरकार के द्वारा चलाया गया था और जिसको लोगों ने बिना किसी विवषता के स्वीकार किया। इसी समय 1952 में एक समिति की स्थापना की गयी जिसमें अधिक अन्न उपजाओं (ग्रो मोर फूड) आन्दोलन का निरीक्षण किया गया और समिति के अनुसार यह कृषि विकास में ज्यादा सहायक सिद्ध नहीं हो सका था।

इसके बाद देष का नवीन संविधान बना तो उसमें पंचायतों की स्थापना की व्यापक व्यवस्था की गयी। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को यह निर्देष दिये गये कि राज्य सरकारें पंचायतों की स्थापना के लिए आवष्यक कदम उठायें और ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के अधिकार एवं कार्य उन्हे देने का प्रयत्न करें।

उत्तर प्रदेष की 5 करोड़ 40 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली 35000 पंचायतों ने 15 अगस्त 1949 से कार्य करना आरम्भ किया। साथ ही लगभग 8 हजार पंचायत अदालते भी स्थापित की गयी।

सन् 1951-52 में पंचायतों की संख्या में आंषिक वृद्धि हुई। इस वर्ष गांव सभाओं की संख्या 35919 से बढ़कर 35943 तथा न्याय पंचायतों की संख्या 8414 से बढ़कर 8492 हो गयी। अब पंचायतों ने ग्रामीण जीवन में सुनियोजित स्तर पर राष्ट्र निर्माण का कार्य आरम्भ किया। इसी वर्ष पहली पंचवर्षीय योजना भी चलायी

ISBN: 978-93-93166-00-5

गयी। योजना की सफलता के लिए शासन द्वारा पंचायत अदालत स्तर पर विकास समितियों के सदस्य मनोनीत किये। पंचायती मंत्री को विकास समितियों का भी मंत्री नियुक्त किया गया। जिला नियोजन समिति में भी प्रत्येक तहसील से एक प्रधान मनोनीत किया गया। 1952-53 में जमींदारी विनाष के पष्चात् गांव समाज की स्थापना हुई और गांव सभाओं के अधिकार बढ़ाये गये।

उ0प्र0 पंचायत विधि (संषोधन) विधेयक 1994 के अन्तर्गत मुख्यतः निम्न व्यवस्था करने का निष्चय किया गया है -

1. पंचायतों का संगठन और संरचना।
2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों एवं महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण।
3. पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल।
4. सरकार द्वारा स्थापित राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण के अधीन त्रिस्तरीय पंचायतों का निर्वाचन नामावली का तैयार किया जाना और उनके सभी निर्वाचनों का संचालन।
5. प्रत्येक पंचायत के लिए एक निधि की स्थापना।
6. पंचायतों के कृत्य, शक्तियाँ और उत्तरदायित्व का विस्तार।
7. पंचायतों को कर, फीस इत्यादि उद्गहीत करने के लिए सषक्त बनाना।
8. पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने और पंचायतों के बीच उद्गहणीय कर, पथकर, फीस इत्यादि के शुद्ध

ISBN: 978-93-93166-00-5

आगमों के वितरण को नियमित करने वाले सिद्धान्तों के सम्बन्ध में राज्यपाल को सिफारिष देने के लिए वित्त आयोग का गठन।

9. प्रदेष के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देते हुए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों को संविधान संषोधन 1992 की अनुसूची 11 में निर्दिष्ट कृत्यों का दायित्व सौंपा गया है। जिसमें कृषि, भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल व्यवस्था, जल आच्छादन विकास, पषुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, सामाजिक और कृषि वानिकी, लघु वन उत्पादन, लघु उद्योग, कुटीर और ग्राम उद्योग, ग्रामीण विकास, पेयजल, ईधन और चारा भूमि, सड़के, पुलियां, पुलों, नौकाघाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर पारम्पिरिक ऊर्जा स्रोत, षिक्षा, गरीबी, उपषमन तकनीकी प्रषिक्षण और व्यवसायिक षिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक षिक्षा खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य, चिकित्सा और स्वच्छता, परिवार कल्याण, सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण आदि है।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन आदि कर मैदानी जिलों में ग्राम पंचायतों के सातवें आम निर्वाचन अप्रैल व मई 1995 में सम्पन्न हुए तथा पर्वतीय जिलों में अक्टूबर 1996 से दिसम्बर 1996 में सम्पन्न हुए। उत्तर प्रदेष पंचायत विधि (संषोधन) अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम सभाओं का

ISBN: 978-93-93166-00-5

पुनर्गठन कर 52125 मैदानी जिलों तथा 6495 उत्तराखण्ड में कुल 58620 ग्राम पंचायतों की स्थापना की गयी। प्रदेष की कुल ग्राम पंचायतों में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 12526, पिछड़े वर्ग के लिए 15853 प्रधानों के पद तथा उक्त में सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 19522 प्रधानों के पद आरक्षित किये गये हैं।

संयुक्त प्रान्त पंचायती राज अधिनियम की धारा-15 तथा उ.प्र. क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 की धारा 32 एवं 33 में त्रिस्तरीय पंचायतों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व निहित करने का प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत इन त्रिस्तरीय पंचायतों को सौपे जाने वाले कार्यो एवं दायित्वों के निर्धारण हेतु श्री जे.एल.बजाज की अध्यक्षता में अगस्त 1994 में राज्य सरकार के द्वारा ‘प्रषासनिक सुधार एवं विकेन्द्रीकरण समिति’ गठित की गयी। जिसने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1995 में सरकार को सौंपी। जिसकी संस्तुतियाँ निम्नवत हैं:-

1. योजनाओं की प्रगति तथा क्रम के बारे में योजना विभाग के विचार को जाना जाय।
2. आयोग के द्वारा केन्द्रीय स्तर के योजना आयोगी की भाँति राज्य स्तर पर भी “राज्य विकास परिषद” के स्थापना की बात की गयी जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संघीय ढँाचे के अनुरूप कार्य करें।

ISBN: 978-93-93166-00-5

3. राज्य योजना आयोग के द्वारा राज्य के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए विचार किया जाय तथा यह निष्चित करते समय पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं को ध्यान में रखकर नीतियाँ निर्मित की जाय। इसके अन्तर्गत व्यापक आधार वाले चुने जन-प्रतिनिधियों, मुख्यमंत्री, राज्य का वित्त एवं योजना मंत्री और मुख्य सचिव, कृषि उत्पाद आयुक्त, वित्त सचिव, योजना सचिव और अन्य सदस्यों को रखा जाय।
4. पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजनाओं का विकेन्द्रीकरण किया जाय। पंचायत स्तर पर क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजनायें बनायी जाये, यह प्राविधान संविधान के अनुच्छेद 243 'जी' (73 वें संविधान संषोधन) 1992 तथा उत्तर प्रदेष पंचायत अधिनियम 1947 को ध्यान में रखकर किया गया है।
5. पंचायती संस्थाओं के माध्यम से योजनाओं का भी विकेन्द्रीकरण किया जाय।
6. कृषि उत्पादन आयुक्त के पद को प्रभावी बनाने के लिए समिति ने संस्तुति दी की कृषि उत्पादन आयुक्त को ग्रामीण विकास पंचायती राज, कृषि सहकारी समिति, पषुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, कार्यक्रम क्रियान्वयन, दुग्ध विकास, ग्रामीण अभियांत्रिकी, लघु सिंचाई, क्षेत्रीय विकास आदि विभागों का प्रधान सचिव नामित किया जाय।
7. अधिकारियों के बहुधा होने वाले स्थानान्तरण को त्यागने तथा

ISBN: 978-93-93166-00-5

तकनीकी रूप से योग्य व्यक्तियों को ही अधिकारी बनाये जाने की संस्तुति की गयी।

8. जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष तथा जिलाधीष को उपाध्यक्ष बनाया जाय। ग्रामीण विकास विभाग उसे संरक्षण देने का कार्य करेगा। ग्रामीण विकास विभाग का अनुभव है कि यदि जिलाधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का सहयोगी है तो उसे उपाध्यक्ष नहीं बनाया जायेगा बल्कि डी.आर.डी.ए. के द्वारा चलाये जा रहे गरीबी उन्मूलन में जिले की आन्तरिक प्रषासनिक व्यवस्था का सहयोग प्राप्त करने के लिए इसे अध्यक्ष बनाया जाय। इस कार्यक्रम से अलग जैसे जवाहर रोजगार योजना, दस लाख कूप योजना, रोजगार गारन्टी योजना को अन्य विभागों के कार्यक्रमों से जोड़ा जाय और यहाँ पुनः जिलाधिकारी सहभागी के रूप में कार्य करता है, जिला योजना बनाने में जिला पंचायत नये विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के तहत महत्वपूर्ण है।
9. आयोग ने परियोजना अधिकारी के स्थान पर मुख्य विकास अधिकारी को डी.आर.डी.ए. का सदस्य बनाये जाने की संस्तुति दी।
10. अभिकरण की विषाल सदस्य संख्या के कारण यह सुझाव दिया गया कि इसमें से सरकारी विभागों के जिला स्तरीय प्रमुखों तथा पाँच मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करके जिलाधीष की अध्यक्षता में परियोजना नियोजन तथा नेतृत्व समिति बनायी

ISBN: 978-93-93166-00-5

जाय।

11. वर्तमान के दो सचिवों के स्थान पर एक सामान्य सचिव के प्रषासनिक सहयोग से ग्रामीण विकास से कार्यो का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा किया जाय।
12. ग्राम पंचायत अधिकारी जो कि वर्तमान 7 या 8 ग्रामों का कार्यपालक अधिकारी होता है। आयोग ने सिफारिष की कि ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी दोनो एक ही संवर्ग के होते हैं। इसलिए ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी दो या तीन गांवों को प्रषासनिक और तकनीकी सहयोग देंगे।
13. उत्तर प्रदेष क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम की दो धाराएँ (जैसे 39 और 95) यह बताती है कि सरकारी अधिकारी सलाहकार के रूप सीधे जिला पंचायत के नियंत्रण में कार्य करें। धारा 43 तथा 47 जिला पंचायत के अधीन उनकी नियुक्ति के तरीके निष्चित करती है। नयी व्यवस्था के अनुसार पंचायत निर्णय लेने के लिए विस्तृत क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत स्वायत्त संस्था के रूप में पर्याप्त संसाधन प्राप्त करने जा रही है।

बजाज आयोग की सिफारिषों को कार्य रूप देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा बजाज आयोग की सिफारिषों तथा सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर विचार करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त भोलानाथ तिवारी की अध्यक्षता में "उच्च अधिकारी समिति" का गठन दिसम्बर 1995 में किया गया। जिसका कार्य मुख्य रूप से बजाज आयोग की सिफारिषों

ISBN: 978-93-93166-00-5

पर विभिन्न विभागों के प्रमुखों के विचारों को जानना तथा उसके अनुरूप बजाज आयोग की संस्तुतियों में संषोधन कर विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को व्यावहारिक, सरल तथा प्रभावी बनाना है। समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 फरवरी 1997 को राज्य सरकार को सौंप दी। समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार करने के पूर्व निम्नलिखित सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया था -

1. मूल सिद्धान्तो के अनुरूप ही पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्वों का विभाजन हो। एक विषिष्ट स्तर पर कैसे बेहतर कार्य किया जा सकता है जो उच्च या निम्न स्तर पर नहीं हो सकता है। केवल उचित कार्य ही विभिन्न स्तरों पर सौंपे जाय।
2. संस्थाएँ और योजनाएँ जिन पंचायतों के अधीन उपयोगी हो उन्हीं को सौंपी जाय। इसी प्रकार उच्च स्तर पर भी कार्यो का विभाजन हो।
3. साधारण योजनाएँ निम्न स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी जाय जबकि तकनीकी दृष्टि से जटिल योजनाएँ आवष्यक मानवीय शक्ति के साथ उच्च पंचायत राज संस्थाओं को सौंपी जायें।
4. व्यवस्थापन की जटिलता एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यदि कोई कठिनाई न हो तो एक निष्चित क्षेत्र में कृषि के लिए बीजों की आपूर्ति की व्यवस्था जिला स्तर पर की जाय।
5. निष्चित योजनाओं के मंजूरी, क्रियान्वयन तथा उनको गति प्रदान करने के लिए समिति वित्तीय व्यवस्था की जाय। उदाहरण

ISBN: 978-93-93166-00-5

स्वरूप लोक निर्माण विभाग के सड़क और पुल।

6. एक ही योजना को जिला पंचायत क्रियान्वित करे, मध्य स्तरीय पंचायत योजना का सक्रियता से निर्माण करें, जबकि कार्यो का चुनाव ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाय।

इन सिद्धान्तों के आधार पर समिति ने निम्नलिखित सिफारिषें प्रस्तुत की

1. समिति योजना विभाग के इस विचार से सहमत है कि 'राज्य विकास परिषद' के गठन की कोई आवष्यकता नहीं है (जैसा कि बजाज आयोग ने सिफारिष की है) क्योंकि इस भूमिका का निर्वाह राज्य योजना आयोग कर रहा है।
2. समिति ने योजना विभाग के विचार से सहमति व्यक्त करते हुए सुझाव दिया कि राज्य योजना आयोग को विधिक आदेष दिया जाय तथा उसका पुनर्गठन किया जाय। इसकी बैठक वर्ष में दो बार हो।
3. समिति बजाज आयोग तथा योजना विभाग से भी सहमत थी कि राज्य योजना संस्थान के प्रभावकारिता में सुधार लाया जाय।
4. योजनाओं के स्थानान्तरण के विषय में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, योजना विभाग के द्वारा आवष्यकतानुसार एक निष्चित सीमा तक स्थानीय स्तर पर शक्तियों को विकेन्द्रीकरण करने को कहा गया लेकिन कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार को हो। समिति ने सिफारिष की कि विभागाध्यक्षों से सम्बन्धित विषय, पंचायती राज विभाग, योजना विभाग, श्रम विभाग, वित्त विभाग

ISBN: 978-93-93166-00-5

से सम्पर्क कर सरकारी आदेष प्रकाषित किया जायेगा।

5. समिति बजाज आयोग के इस संस्तुति पर योजना विभाग के विचारों से सहमत है कि योजनाओं के निर्माण के लिए विषेषज्ञों का होना आवष्यक है। योजना विभाग विभागीय कर्मचारियों से सम्पर्क करने के बाद आवष्यक राजकीय आदेषों को प्रकाषित करेगा।
6. जिला योजना तैयार करने की सबसे उपयुक्त प्रणाली यह होगी कि इसे विकसित करने का कार्य विषेषज्ञों की एजेंसी जैसे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रषासनिक अकादमी, राज्य योजना संस्था, राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्था आदि के द्वारा किया जाय।
7. समिति ने विकास के महत्व को महसूस करते हुए बजाज आयोग के सिफारिषों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षण कराये जाने की बात की। आवष्यक सरकारी आदेष वित्त सचिव के द्वारा प्रकाषित किया जायेगा।
8. समिति पंचायती राज संस्थानों के लिए क्रमबद्ध तथा संयुक्त निधि के सृजन से सहमत है। योजना आयोग वित्त विभाग के सहयोग से आवष्यक सरकारी आदेषों को इस निधि के विकास के लिए प्रकाषित करेगा तथा इस सम्बन्ध में स्पष्ट दिषा-निर्देष प्रसारित करेगा।
9. समिति ने सिफारिष की कि त्रिस्तरीय पंचायतों के योजना निर्माण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में योजना विभाग व्यापक दिषा-निर्देष प्रस्तुत करें, इसके लिए प्रोफार्मा का प्रयोग किया जाय तथा

ISBN: 978-93-93166-00-5

विकास योजनाओं के पूर्ण होने का तारीख सहित उल्लेख हो।

10. जिला योजना समिति का संगठन योजना विभाग द्वारा अनु0 243 'जी' के अन्तर्गत किया जाय। जिले का प्रभारी मंत्री जिला योजना समिति का अध्यक्ष होगा।
11. समिति बजाज आयोग के इस विचार से सहमत है कि कृषि उत्पादन आयुक्त के पद को प्रभावी बनाने के लिए उसे ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, सहकारी, पषुपालन, मत्स्य, उद्यान, कार्यक्रम क्रियान्वयन, दुग्ध विकास, ग्रामीण अभियांत्रिकी, लघु सिंचाई, क्षेत्रीय विकास, आदि विभागों का मुख्य सचिव नामित किया जाय तथा सुझाव दिया कि कृषि उत्पादन आयुक्त को रेषम तथा कृषि निर्यातों के लिए इन दो विभागों का प्रमुख सचिव बनाया जाय तथा ये दोनों विभाग उसके अधीन हों। कृषि उत्पादन आयुक्त की स्थिति में सुधार लाया जाय जिससे वह इसके अनुरूप कार्य कर सकें।
12. समिति बजाज आयोग की इस सिफारिष से भी सहमत है कि अधिकारियों के बहुधा होने वाले स्थानान्तरण की प्रवृत्ति को रोका जाय।
13. समिति ग्रामीण विकास विभाग के विचारों से सहमत है कि यदि जिलाधिकारी अर्थात् कलेक्टर डी.आर.डी.ए. का सहयोगी है तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में जिले के प्रषासनिक व्यवस्था का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसे डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष बनाया जाय न कि बजाज आयोग के सिफारिष के अनुरूप

ISBN: 978-93-93166-00-5

उपाध्यक्ष। आयोग डी.आर.डी.ए. की अलग पहचान बनाये रखने को आवष्यक माना और कहा कि इसे उस समय तक जिला पंचायत में न मिलाया जाय जब तक कि जिला पंचायत आयोग के सिफारिषों के अनुरूप क्रियाषील और कार्य निक्षेप का कार्य न करें। डी.आर.डी.ए. के अपरिपक्व नेतृत्व में परिवर्तन करके उसे प्रभावी बनाया जाय क्योंकि यह भारत सरकार के विकास कार्यो में सहयोग देने वाली एक परम आवष्यक संस्था है।

14. समिति इस प्रस्ताव से भी सहमत है कि मुख्य विकास अधिकारी डी.आर.डी.ए. को सचिव बनाया जाय। समिति महसूस करती है कि सभी क्षेत्र प्रमुख डी.आर.डी.ए. के सदस्य बनाये जायें। जिससे यह एक बड़ी तथा जिला पंचायत के प्रकृति की संस्था बनायी जा सकें क्योंकि समिति जिला पंचायत की अलग पहचान बनाये रखने के पक्ष में है। डी.आर.डी.ए. का एक हर्बल तथा क्रियाषील अंग बनाया जाय, इसके लिए यह पर्याप्त होगा कि एक तिहाई जिला पंचायत सदस्यों को चक्रानुक्रम से एक वर्ष के लिए इसका सदस्य बनाया जाय। इससे योजना नियोजन तथा निरीक्षण के लिए अन्य छोटी समितियों के गठन की आवष्यकता समाप्त हो जायेगी।

15. आगामी तीन वर्ष विकेन्द्रित शासन के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए निर्णायक होंगे। समिति महसूस करती है कि पंचायती राज संस्थाओं के विकास की प्रक्रिया में स्वतंत्र पंचायती राज विभाग का होना परम आवष्यक है।

ISBN: 978-93-93166-00-5

विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया में विभिन्न विभाग का एक सचिव होना आवष्यक है। समिति पंचायती राज तथा कमिष्नर ग्रामीण विकास के बीच कार्यो के विभाजन से सहमत है। इसलिए पंचायती राज विभाग को दृढ़ता प्रदान करना आवष्यक है।

16. समिति बजाज आयोग के इस सिफारिष से सहमत है कि वर्तमान में जो ग्राम पंचायत अधिकारी 7 से 8 गांव के कार्यपालक अधिकारी हैं उसके स्थान पर ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम विकास अधिकारी के कार्यो का एकीकरण किया जाय। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम विकास अधिकारी दो या तीन गांवों को प्रषासनिक और तकनीकी सहयोग करें।
17. बजाज आयोग जिन अधिकारियों को सलाहकार के रूप में सीधे जिला पंचायत के नियंत्रण में कार्य करने का सुझाव दिया था समिति ने विभिन्न विभागों से विचार-विमर्ष करने के पष्चात् उसे स्वीकृति प्रदान की तथा उपनिदेषक (कृषि विस्तार) को भी धारा 39 के अन्तर्गत शामिल करने का सुझाव दिया। समिति से सिफारिष की कि अधिकारियों का समायोजन धारा 95 में बजाज आयोग के सिफारिषों के अनुरूप किया जाये। इसी संस्करण में समिति से सिफारिष की कि जिला पूर्ति अधिकारी भी धारा 95 में शामिल किया जाय। पंचायती राज विभाग द्वारा क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 39 तथा 95 में भी उपयुक्त सुधार लाने के लिए कार्य आरम्भ करने का सुझाव दिया।
18. समिति बजाज आयोग के किसान सेवा केन्द्र स्थापित करने तथा

ISBN: 978-93-93166-00-5

उसके प्रबन्ध सम्बन्धी विचारों से सहमत है।

19. समिति आयोग के जिला, क्षेत्र तथा ग्राम स्तर पर पंचायतों को कार्य सौंपने सम्बन्धी सिफारिषों को स्वीकार करती है तथा योजना विभाग, पंचायती राज और अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा इनसे सम्बन्धित आदेष जारी किया जायेगा। इसलिए समिति ने अपनी रिपोर्ट के दूसरे भाग में 32 विभागों के कार्यो का विस्तृत चित्रण किया तथा उसके विभाजन को स्वीकृति प्रदान की।
20. जब तक राज्य वित्त आयोग की सिफारिषें सम्मिलित न हो जायं समिति के सुझाव के अनुरूप इन सिफारिषों पर कार्यवाही योजना विभाग के द्वारा की जायेगी।
21. समिति बजाज आयोग के इस विचार से सहमत है कि विभिन्न स्तर के पंचायतों के धनराषियों की जाँच वर्तमान के अनेक एजेंसियों के स्थान पर एक एजेंसी से कराया जाना चाहिए। मुख्य लेखाधिकारी पंचायतों के लेखा परीक्षण का उत्तरदायित्व लेते हुए विभिन्न पंचायतों की निधियों की एक विस्तृत रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उसी प्रकार तैयार करेंगे जिस प्रकार मुख्य लेखा परीक्षक द्वारा राज्य के निधियों एवं वित्त की तैयार की जाती है।
22. समिति बजाज आयोग के इस विचार से भी सहमत है कि चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों, उनके कार्यो, गैर सरकार संगठनों तथा महिलाओं के लिए प्रषिक्षण की विस्तृत आवष्यकता है जिसके लिए विभिन्न प्रषिक्षण संस्थानों का उपयोग किया जाय।

ISBN: 978-93-93166-00-5

23. समिति बजाज आयोग के द्वारा डी.आर.डी.ए. के लिए सुझाये गये कार्यो से सहमत है लेकिन डी.आर.डी.ए. में निर्माण कार्यो के निरीक्षण के लिए अधिषाषी अभियन्ता के पद सृजन के विचार से असहमत है। डी.आर.डी.ए. योजनाओं केा स्वयं क्रियान्वित करने वाली एजेंन्सी नहीं है। वे राषियों का स्थानान्तरण उप विभिन्न विभागों को करता है जिसके द्वारा वास्तव में आवष्यक कार्यो को क्रियान्वित किया जाता है। इसलिए इस पहलू पर एक प्रभावी तकनीकी परीक्षण सेल के द्वारा ही ठीक देखरेख की जा सकती है। तकनीकी परीक्षण सेल को दृढ़ता प्रदान करना आवष्यक है।

पंचायतों के कुछ आधारभूत आँकड़े

1.ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	58602
आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या	
1.अनुसूचित जनजाति	121
2.अनुसूचित जाति	12333
3.पिछड़ा वर्ग	15822
4.महिलाएं	20440

(महिलाओं की संख्या में अनुसूचित जनजाति की 48, अनुसूचित जाति की 4406 एवं पिछड़े वर्ग की 5553 महिलाएं सम्मिलित हैं।)

2.क्षेत्र पंचायतों की संख्या	901
आरक्षित क्षेत्र पंचायतों की संख्या	
1.अनुसूचित जनजाति	02
2.अनुसूचित जाति	189

ISBN: 978-93-93166-00-5

3.पिछड़ा वर्ग	243
4.महिलाएं	301

(महिलाओं की संख्या में अनुसूचित जनजाति की 1, अनुसूचित जाति की 63 एवं पिछड़े वर्ग की 81 महिलाएं सम्मिलित हैं)

3.जिला पंचायतों की कुल संख्या	72
आरक्षित जिला पंचायतों की संख्या	
1.अनुसूचित जनजाति	शून्य
2.अनुसूचित जाति	14
3.पिछड़ा वर्ग	17
4.महिलाएं	22

(महिलाओं की संख्या में अनुसूचित जाति की 5 एवं पिछड़े वर्ग की 6 महिलाएं सम्मिलित है)

संदर्भ

1. *पृ. जयप्रकाश नारायण, कम्यूनिटेरियन सोसायटी एण्ड पंचायती राज, वाराणसी, इन्द्रप्रस्थ प्रेस।*
2. *एच.डी. मालवीय, विलेज पंचायत इन इण्डिया, इकोनामिक एवं पोलिटिकल रिसर्च डिपार्ट, ए.आई.सी.सी., नई दिल्ली।*
3. *बी.मुखर्जी, कम्यूनिटी डेवलपमेण्ट एण्ड पंचायती राज, आई.आई.पी.ए.।*
4. *जयप्रकाश नारायण, स्वराज फार द पीपुल, वाराणसी, अखिल भारत सर्व सेवा संघ ।*
5. *श्रीराम माहेष्वरी, लोकल गवर्नमैण्ट इन इण्डिया, ओरियण्ट लांग*

ISBN: 978-93-93166-00-5

मैन, नई दिल्ली।

6. *जवाहरलाल नेहरू, दी डिस्कवरी आॅफ इण्डिया, बम्बई, एषिया पब्लिषिंग हाउस*
7. *कमेटी आन प्लान प्रोजेक्ट्स, स्टडी फार कम्यूनिटी डेवलपमेण्ट एण्ड नेषनल इक्सटेन्षन सर्विस रिपोर्ट, बलवन्त राय जी.मेहता, लीडर, नई दिल्ली ।*
8. *एस.आर.माहेष्वरी, पंचायती राज, सच्चे लोकतंत्र का प्रतीक, ।*
9. *बलवन्त राय मेहता कमेटी रिपोर्ट।*
10. *रिपोर्ट ऑफ दी टीम दी स्टडी आॅफ कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स एण्ड नेषनल इक्स्टेन्षन सर्विस।*
11. *एस.के.डे., पंचायती राज (हिन्दी में) दिल्ली, राजकमल प्रकाषन ।*
12. *बी.मुकर्जी 'कम्यूनिटी डवलपमेण्ट एण्ड पंचायती राज, दी इण्डियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेषन ।*
13. *एस.के.डे. पंचायती राज, दिल्ली, राजकमल प्रकाषन।*
14. *बी.मुकर्जी, 'कम्यूनिटी डवलपमेण्ट एण्ड पंचायती राज' दी इण्डियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।*
15. *एस.के.डे., पंचाचत राज सिन्थेसिसि।*
16. *रिपोर्ट आफ द टीम टू स्टडी कम्यूनिटी प्रोजेक्ट एण्ड नेषनल इक्सटेन्सन, एशिया।*
17. *जियाउद्दीन खान, पंचायती राज एण्ड डेमोक्रेसी, द्वारा उद्धृत इकबाल नारायण*

ISBN: 978-93-93166-00-5

18. बलवन्त राय मेहता कमेटी-रिपोर्ट।

19. एस.के.डे.,एम.वी.माथुर एण्ड इकबाल नारायण (एडिटेड), पंचायती राज प्लानिंग एण्ड डेमोक्रेसी, बम्बई, एषिया पब्लिकेषन हाउस।

20. सुभाष कष्यप तथा विष्व प्रकाष गुप्त, राजनीति-कोष, दिल्ली, राजकमल प्रकाषन।

21. जयप्रकाष नारायण, स्वराज फार दी पीपुल, वाराणसी, अखिल भारत सर्वसेवा संघ।

22. ई.एम.एम. नम्बूदरीपाद पोलिटिकल पार्टीज एण्ड पंचायती राज, दी इण्डियन जर्नल ऑफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेषन, वाल्यूम 8 ।

23. हरीष्चन्द्र माथुर, पंचायती राज एण्ड पोलिटिकल पार्टीज, 'दी इण्डियन जर्नल आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाल्यूम ।

24. मायरन विनर, पोलिटिकल पार्टीज एण्ड पंचायती राज, 'दी इण्डियन जर्नल आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेषन वाल्यूम 8।

25. मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर एण्ड इरिगेशन, डिपार्टमेंन्ट आफ रूरल, डवलपमेन्ट, कमेटी आन पंचायती राज इन्स्टिटयूषन्स, रिपोर्टः अषोक मेहता, लीडर, नई दिल्लीः गवर्नमेन्ट आॅफ इण्डिया प्रेस।

26. भानुप्रताप सिंह केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री ने लोकसभा को सूचित किया कि अभी तक नौ राज्यों तथा दो केन्द्रशासित प्रदेशोसे इस विषय पर टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं।